

# विधिक जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम



18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह करना, विवाह करवाना, विवाह में शामिल होना, ऐसे विवाह को बढ़ावा देना - बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनन अपराध है। इसके अंतर्गत 2 साल तक की कड़ी सज़ा या 2 लाख रु. तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

बनें लागरूक बानें अधिकार

महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी व किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत के लिए 1090 पर टोल फ्री कॉल करें या [www.doj.gov.in](http://www.doj.gov.in) पर जाएं